संख्या-30/2019/1828(1)/77-3-2019-03बजट/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 अक्टूबर,2019

विषय-गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ तक) के क्रियान्वयन हेतु परियोजना विकास परामर्शी को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 6.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3513/यूपीडा/गंगा एक्सप्रेसवे/1325, दिनांक 03.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ में से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना विकास परामर्शी को भुगतान किये जाने हेतु रू0 6.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने हेतु परियोजना विकास परामर्शी को ई0ओ0आई0-कम-आर0एफ0पी0 अभिलेख के अनुरूप ई0पी0सी0 पद्धति पर विकसित करने तथा आवश्यक अध्ययन, सर्वे, संरेखण का चिन्हीकरण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, निर्माणकर्ताओं के चयन हेतु बिड अभिलेख तैयार करने एवं तत्संबंधी आवश्यक सेवाओं के भुगतान हेतु रू0 6.48 करोड़ (रूपये छः करोड़ अड़तालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैं:-

(1) उक्त धनराशि यूपीडा के खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु निर्माणकर्ता संस्थाओं को सीधे प्रदान की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 ई-6-680/दस-19 दिनांक 11.10.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव

संख्या-30/2019/1828(2)/77-3-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
04. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
05. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4
07. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।